मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//संशोधन आदेश//

क्रमांक I/246629/2025/26-2 भोपाल, दिनांक 29-04-2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ **3-39/2017/26-2**, दिनांक **22/04/2022**

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश में राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1.योजनातंर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो साथ ही इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा।

2. कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से 03 तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस) तथा एक अन्य तिथि का केलेण्डर जारी कर सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जावे। अनुसूचित जनजाति की परम्पराओं के दृष्टिगत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजन हेतु 04 तिथियों का केलेण्डर पृथक से विभाग द्वारा जारी किया जावेगा।

3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनातंर्गत संभागवार जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की संख्या निर्धारित की जावे।

4. योजनातंर्गत सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर किया जाकर पात्र/अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा।

5. मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित वधू को सहायता राशि रूपये **49** हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से कन्या के खाते में एवं शेष **6** हजार रूपये पूर्व की भांति सामूहिक विवाह समारोह आयोजन हेतु जिला स्तर से आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय हेतु प्रदाय किया जाएगा।

6. सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आ र्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर साथ ही समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया

जावे।

7. यह संशोधित योजना दिनांक 15 मई, 2025 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
ANKITA DHAKRE
Date: 29-04-2025
10:32:43

(अंकिता धाकरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृष्ठां.क्रमांक I/246629/2025/26-2 भोपाल, दिनांक 29-04-2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपला।
4. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
13. आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल।
15. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
19. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

20. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
21. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश।
22. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

e No. 2/1/20/0008/2025-Sec-2-26(SJD) (Computer No. 460266)
enerated from eOffice by SANTOSH KUMAR SHRIVASTAVA, AG3(SKS)-Sec-2, ASSISTANT GRADE 3, SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSON WELFARE on 29/04/2025 12:55 pm